डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई

व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

राधाकिशन बनाम भूदान

दावा बाबत् 88, 89, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 159/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दइ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

आराजी खसरा नंबर 28 रकबा 0.53, 29 रकबा 0.43 किता 2 रकबा 0.96 है0 एवं खसरा नंबर 31 रकबा 0.70, 32 रकबा 0.50 किता 2 रकबा 1.20 है0 वाके ग्राम मांझी तहसील नदबई स्थित है, पर वादीगण संख्या 1 व 2 को हिस्सा 1/2 वाहिस्सा बराबर का तथा वादीगण संख्या 3 के वारिसानों को हिस्सा 1/4 वाहिस्सा बराबर तथा वादीगण संख्या 3 लगायत 7 को हिस्सा 1/4 वाहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हो रहे वर्तमान इन्द्राजात कलमजन किए जाते हैं। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

बैज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ____________फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ____________ की अदा करें।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख.....03/07/2025...... को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत———— [signature] 3/7/25

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज॰)

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:05:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. राधाकिशन पुत्र सेबू जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. पुनसिंह पुत्र सेबू जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. वत्तो पुत्र टीका (मृतक) जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   3/1. यादराम पुत्र वत्तो जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   3/2. हाकिम पुत्र वत्तो जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   3/3. करन पुत्र वत्तो जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. रामबाबू पुत्र विजेन्द्र जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. दीनदयाल पुत्र विजेन्द्र, जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. उदयसिंह पुत्र विजेन्द्र जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. राकेश पुत्र विजेन्द्र जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर, जरिए चैयरमेन भूदान यज्ञ बोर्ड त्रिपोलिया बाजार जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
3. रजनीकांत, पुत्र अमरसिंह जाति ब्राह्मण निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. कृष्णगोपाल पुत्र अमरसिंह जाति ब्राह्मण निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. रामनिवास पुत्र अमरसिंह जाति ब्राह्मण निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. निरंजन पुत्र अमरसिंह जाति ब्राह्मण निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:05:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 159/2012
टी.सी.एम.एस. नम्बर 2012/00037
अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 03.07.2025

1. राधाकिशन पुत्र सेडू जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. ध्रुवसिंह पुत्र सेडू जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. वत्तो पुत्र टीका (मृतक) जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   3/1. यादराम पुत्र वत्तो जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   3/2. हाकिम पुत्र वत्तो जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   3/3. करण पुत्र वत्तो जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. रामबाबू पुत्र विजेन्द्र जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. दीनदयाल पुत्र विजेन्द्र जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. उदयसिंह पुत्र विजेन्द्र जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. राकेश पुत्र विजेन्द्र जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर, जरिए चैयरमेन भूदान यज्ञ बोर्ड त्रिपोलिया बाजार जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
3. रजनीकांत पुत्र अमरसिंह जाति ब्राह्मण निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. कृष्णगोपाल पुत्र अमरसिंह जाति ब्राह्मण निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:05:09 IST
Reason: SelfAttested

3/7/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

5. रामनिवास पुत्र अमरसिंह जाति ब्राह्मण निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

6. निरंजन पुत्र अमरसिंह जाति ब्राह्मण निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

उपस्थित श्री अशोक कुमार एड.(वादीगण की ओर से)

श्री फूलसिंह एड.(प्रतिवादीगण की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए.

1. यह कि वादी व प्रतिवादीगण में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वाद लडने योग्य नहीं हैं।
2. यह कि विवादित आराजी खसरा नंबर 28 रकबा 0.53, 29 रकबा 0.43 किता 2 रकबा 0.96 है0 वाके ग्राम मांझी तहसील नदबई में स्थित है। इस संदर्भ में नकल जमाबंदी संवत 2068–71 पेश है। खसरा नंबर 31 रकबा 0.70, 32 रकबा 0.50 किता 2 रकबा 1.20 है0 वाके ग्राम मांझी स्थित है।
3. यह कि विवादित आराजी जो वादपत्र में अंकित है वह सेडू पुत्र रामचंद्र, टीका पुत्र बदले जाति गडरिया के रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है चूंकि सेडू की मृत्यु हो चुकी है इसलिए उसके वारिसान वादीगण संख्या 1 लगायत 2 हैं तथा टीका की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान उसके दो पुत्र वत्तो व विजेन्द्र था परन्तु विजेन्द्र की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए विजेन्द्र के वारिसान वादीगण संख्या 1 लगायत 7 है। विवादित आराजी पर वादी संख्या 1 व 2 1/2 हिस्से तथा वादीगण संख्याा 3 लगायत 7 संयुक्त 1/2 हिस्से पर खातेदार हैसियत से काबिज चले आ रहे हैं तथा मौके पर हम वादीगण ने विवादित आराजी पर बाजरा आदि की फसल बो रखी है तथा रिकॉर्ड में भी वादीगण के पर्वूजों की विवादित आराजी पर खातेदारी का अंकन चला आ रहा था। तथा आज तक बदस्तूर चला आ रहा है। परन्तु नकल जमाबंदी संवत 2039–42 के खाता संख्या 189 व 190 के साबिक खसरा नंबर 20 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 21 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा तथा खाता संख्या 190 का रकबा खसरा नंबर 22 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा के तहसील नदबई के कर्मचारियों ने नामा. संख्या 183 व 184 से विवादित आराजी के साबिक खसरा नंबरान हम वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी का अंकन करने के बाद भूदान होल्डर यानि प्रतिवादी संख्या 1 का अंकन कर दिया है। यह अंकन तहसीलदार नदबई के कर्मचारियों ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर नियम विरूद्ध किया है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 ने कर्मचारियों ने न्यायालय की डिक्री के विरूद्ध व ... न्यायालय के आदेश के बिना इस प्रकार का अंकन करने का अधिकार ... इसके अलावा उक्त अंकन करने से पूर्व हम वादीगण के पूर्वजों को किसी प्रकार से सूचित नहीं किया इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 ... प्रतिवादी ... का रिकॉर्ड में जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:05:09 IST
Reason: SelfAttested

3/7/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अंकन किया है वह नियम विरूद्ध है जिसे वादीगण प्रभावहीन घोषित कराने का अधिकारी है तथा रिकॉर्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 के अंकन को निरस्त कराकर वादीगण संख्या 1 व 2 अपने आप को विवादित आराजी पर 1/2 हिस्से का तथा वादी संख्या 3 लगायत 7 को 1/2 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है।

4. यह कि रिकॉर्ड में विवादित आराजी पर उक्त विवेचन से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने हम वादीगण को विवादित आराजी से दिनांक 10.09.12 को बेदखल करने की धमकी दी है। तथा हम वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 को रिकॉर्ड में अंकन होने की वजह से विवादित आराजी को रहन रखकर ऋण लेने में असुविधा हो रही है। तथा हम वादीगण विवादित आराजी का समुचित तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अजीम क्षति हम वादीगण को हो रही है। जिसकी पूर्ति जरिए नकद से न हो सकेगी। अतः वादी प्रतिवादीगण को विवादित आराजी में किसी प्रकार की दखलदाजी न करने हेतु हुक्मइम्तनाई दावामी की डिक्री से पाबंद कराने के अधिकारी हैं। तथा वादीगण का मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण वादपत्र के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 80(2) जा.दी. का वादपत्र को पेश करने की स्वीकृति हेतु अलग से पेश किया जा रहा है।

5. अंत में प्रार्थना की कि विवादित आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 7 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम हो रहे इन्द्राजात को प्रभावहीन घोषित करने हेतु निरस्त फरमाया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए हुक्तइम्तनाई दावामी की डिक्री से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण की खातेदारी की विवादित आराजी में किसी प्रकार की दखलदाजी नहीं करें।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। जबाव दावा संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह कि दावा की मद संख्या 1 व 2 की किसी प्रकार की कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
2. यह है कि मद संख्या 3 के कथन के संबंध में वास्तविकता यह है कि प्रश्नगत भूमि मूल रूप से भूदान बोर्ड में प्राप्त हुई थी कि जिसका अमल तहसील रिकॉर्ड में भूदान बोर्ड के नाम से नहीं हो पाया था और इसलिए गलती से तहसील द्वारा इस भूमि को राजकीय भूमि मानकर स्वर्गीय सैड्डू रामचन्द्र व टीका को आवंटित कर दिया था। ... सरकार के आदेशानुसार जब भूदान भूमियों का ... मिलान कार्यवाही में सैड्डू, रामचन्द्र व टीका को ... दर्ज पाये जाने की जानकारी मिलने पर भूदान बोर्ड ... तहसील को गलती

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:05:09 IST
Reason: SelfAttested

3/7/25
उपखण्ड अधिकारी

सुधारने का आदेश देते हुए लिखा गया कि यद्यपि सैडू, रामचन्द्र व टीका को तहसील द्वारा किया गया आवंटन गलत है लेकिन भूदान बोर्ड ने यह तय किया है कि आवंटन को निरस्त करने की बजाय आवंटिति को भूदान होल्डर दर्ज कर दिया जावे। भूदान बोर्ड द्वारा यह आदेश इसलिए दिया गया था कि तहसील की भूल का खामयाजा श्री सैडू, रामचन्द्र व टीका को नही हो पाये। अतः चूंकि भूदान कानून में हुए संशोधन के अनुसार भूदान होल्डर को भी खातेदारी हक प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 2 (12) राज–6/92 पार्ट दिनांक 18.11.10 के अनुसरण में तहसील को चाहिए की वह श्री सैडू, रामचन्द्र व टीका के उत्तराधिकारियों को भूदान होल्डर के बजाये खातेदार दर्ज करावें। जिसकी प्रति संलग्न है। चूंकि बोर्ड द्वारा अपनाई गई नीति एवं निर्णय के अनुसार न्यायिक प्रकरणों का निस्तारण न्याय मन्दिरों पर छोडने की परम्परा अपनाई जाती रही है। जबाब दावे को पैरवी के रूप में ही मान्य कर आदेश पारित करें।

प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 के तहत स्वीकार होने पर पक्षकार मुकदमा बनाये जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 की ओर से जबाब दावा पेश किया गया जो संक्षिप्त में निम्नानुसार है –

यह है कि वादपत्र की मद संख्या 3 के मुताविक जिस प्रकार वर्णित किया है स्वीकार नहीं है वादीगण ने तथ्यों को छुपाकर वाद पेश किया है। आराजी से वादीगण व उसके पूर्वजों का कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है, वादीगण के पूर्वज सेडू व टीका के नाम उक्त इन्द्राज गलत रूप से भू–प्रबंधक विभाग संवत 2028 द्वारा किये गये हैं उक्त आराजी के साविक खसरा नं. प्रतिवादी के पिता अमरसिंह को भूदान व गैर मौरोसी प्रदान की गई थी जिसके आधार पर प्रतिवादी के पिता मुताविक इन्तकाल नं. 184 जमांवंदी संवत 2013 से 2017 में खातेदारी के अंकन किये गये थे उक्त आराजी के प्रतिवादीगण के पिताओं ने बाद की जमांबंदी में शिकमी साल 3 के इन्द्राजात गलत रूप से कराकर भू–प्रबंधक विभाग संबत 2028 में अपने नाम इन्द्राजात करा लिये, जिसका ज्ञान होने पर उक्त प्रविष्टियों को दुरूस्त कराने हेतु प्रतिवादीगण ने एक वाद प्रथक रूप से रजनीकांत बनाम राधाकिशन अदालत श्रीमान में विचाराधीन है इसलिए यह वाद मैंटेनेबिल नहीं है। काबिल खारिजी के है। न ही वादीगण को कोई किसी प्रकार की धमकी दी है। उक्त आराजी प्रतिवादी के पिता को प्राप्त हुई भूदान यज्ञ द्वारा मिली आराजी है जिस पर वादीगण कानून में किसी प्रावधान के तहत खातेदारी करने के अधिकारी नहीं हैं। वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है लिहाजा वाद खारिज किया जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा एवं प्रति[illegible] द्वारा प्रस्तुत जबाव दावा के आधार पर वादपत्र में [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:05:09 IST
Reason: SelfAttested

3/7/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज॰)

Scanned with OKEN Scanner

1. आया वादी प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 का रिकॉर्ड जो अंकन करवाया है उसे प्रभावहीन करा पाने का अधिकारी है।

— जिम्मेवादी

2. आया वादीगण संख्या 1 लगायत 7 विवादित आराजी पर 1/2 हिस्सा रिकॉर्ड काबिज घोषित करा पाने का अधिकारी है।

— जिम्मेवादी

3. आया वाद वादी मेन्टेनेबिल नहीं होने से काबिले खारिजी के है।

— जिम्मेप्रतिवादी

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2068–71 वाके ग्राम मांझी प्रदर्श 1, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 प्रदर्श 2, नकल नामांतकरण संख्या 184 वाके ग्राम मांझी प्रदर्श 3 व 4 , नकल जमांवंदी संवत 2039 से 2042 वाके ग्राम मांझी प्रदर्श 5, नकल जगांवंदी संवत 2035 से 2038 वाके ग्राम मांझी प्रदर्श 6 पेश किये गये तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में राधाकिशन पुत्र सेडू जाति गडरिया निवासी मांझी, दीनदयाल पुत्र विजेन्द्र जाति गडरिया निवासी मांझी , हुकमसिंह पुत्र रामफल जाति गडरिया निवासी मांझी, किशनसिंह पुत्र कमलसिंह जाति गडरिया निवासी मांझी, खूबीराम पुत्र रोशनसिंह जाति जाट निवासी मांझी, पेश किए गए जिनसे जिरह वकील प्रतिवादी द्वारा की गई।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाव दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल मिलान क्षेत्रफल संबत 2028 वाके ग्राम मांझी प्रदर्श डी 1 नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 प्रदर्श डी 2, नकल जमांबंदी संवत 2014 से 2017 वाके ग्राम मांझी प्रदर्श डी 3, नकल नामांतकरण पंजिका जमावंदी संवत 2014 से 2015 वाके ग्राम मांझी प्रदर्श डी 4, एवं नकल वाद पत्र मुकदमा उनवान रजनीकांत बनाम राधाकिशन वगैराह मुकदमा 88,89,188 आरटीए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई पेश किये गये, एवं मौखिक बयान में कृष्णगोपाल पुत्र अमरसिंह जाति ब्राहम्ण निवासी मांझी, पेश किए गए जिनसे जिरह वकील वादी द्वारा की गई।

हमने वादी व प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी। वादी अधिवक्ता के बहस के दावा में अंकित तथ्यों को दोहराया गया तथा कथन रहे कि विवादित आराजी वाके ग्राम मांझी तहसील नदबई स्थित है। जिसके मालिक वर्तमान में भूदान होल्डर है। उक्त विवादित आराजी पर कब्जा प्रारंभ से ही वादीगण का है। तथा प्रारंभ से ही वादीगण के पिता सेडू व टीका का कब्जेकाश्त में रही है। इनको खातेदार बनाया जाना न्यायोचित है अतः उक्त विवादित आराजी में जमाबंदी में खातेदार के रूप में अंकित भूदान शब्द को हटाया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इस संबंध

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:05:09 IST
Reason: SelfAttested

3/7/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज॰)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त संबंध में नजीर आरटीए 1955 कि धारा 19 (1) कक पेज 61 से 65 व सीताराम बनाम मंगल 1965 आरआरडी पेज 63, नारायण बनाम गौरा 9165 आरआरडी पेज 349, धुली बनाम तुलसीराम 1985 आरआरडी पेज 284, प्रताप बनाम स्टेट आफॅ राज. 1990 आरआरडी पेज 277, धारा 19(1) के तहत प्रकरण श्रीमती बैजन्ती व अन्य बनाम भगवती वगैo में 1993 आरआरडी 232 पृष्ठ संख्या 235 के अनुसार दिसंबर 1969 से लगातार बतौर सब टिनेन्ट काबिज होने से वह खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का मुस्तहक है। तथा नाथू बनाम चन्दा एवं अन्य, 1993 आरआडी 200 पृष्ठ संख्या 201, 202 के अनुसार भू-अभिलेख अधिकारी जहां पर इन्द्राज के मामले में विवाद हो कब्जे के आधार पर जांच कर इन्द्राज कर सकते हैं। वादी अधिवक्ता द्वारा पेश उक्त नजीरें उक्त वाद पत्र पर चस्पा होती है अत मुताबिक प्रार्थना अनुसार दावा डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी अधिवक्ता के बहस के दौरान कथन रहे कि संवत 2039-40 में उक्त विवादित आराजी भूदान के नाम दर्ज की गई। जबकि वादीगण के नाम खातेदारी गलत रूप से दर्ज चली आ रही है जबकि इसके मूल खातेदार प्रतिवादीगण हैं। प्रतिवादीगण प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 के तहत मुकदमा पक्षकार बने हैं। भूदान होल्डर उक्त विवादित आराजी को सिवायचक आराजी मानकर आवंटन वादीगण के नाम किए जाने की बात कह रहे हैं। अतः दावा काबिल खारिजी के है। प्रतिवादीगण द्वारा नजीर आरआरटी (1) पेज नंबर 151 गीगाराम व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एवं आरआरटी 2008 के पेज नंबर 154, आरआरटी 2008(1) के पेज नंबर 154 रावता बनाम मोहममद रफीक वगै., आरआरडर 1996 पेज 389 रामसिंह बनाम रतीराम वगै., आरआरटी 2017(1) पेज 664 बोर्ड आफॅ रेवेन्यू मु. काजोड़ बनाम भगवाना वगै. पेश है। उक्त नजीरों के आधार पर दावा वादीगण काबिल खारिजी के है।

हमने उभयपक्षकार के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तनकीवार निर्णय इस प्रकार है।

1. आया वादी प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या ... का रिकॉर्ड जो अंकन करवाया है उसे ... करा पाने का अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का ... रिकॉर्ड के अवलोकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:05:09 IST
Reason: SelfAttested

3/7/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

से साबित है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 28, 29, 31, 32 जिनके सैटलमेंट संवत 2060 से पूर्व खसरा नंबर 20, 21, 22 बने हैं एवं संवत 2028 में खसरा नंबर 17, 15, 15, 16 से उक्त खसरा नंबरान निर्मित किए गए हैं। उक्त खसरा नंबर जमाबंदी संवत 2014 से 2017 प्रदर्श डी 3 के अनुसार अमरसिंह वल्द नंदन जाति ब्राह्मण दर्ज रिकॉर्ड है। एवं खसरा नंबर 16 का एक टुकडा 13 बिस्वा उमराव वल्द कंचन जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज है। प्रदर्श डी 4 दाखिला खारिज संख्या 34 के मुताबिक दिनांक 23.05.60 में उक्त विवादित आराजी आयुक्त महोदय, अजमेर के आदेशानुसार अमरसिंह वल्द नंदन को प्राप्त होना स्पष्ट है। जमाबंदी संवत 2014 से 2017 संलग्न पत्रावली रजनीकांत बनाम झम्मन वगै0 में पेश अनुसार उक्त आराजीयात कॉलम नंबर 16 में भूदान यज्ञ बोर्ड होल्डर के नाम दर्ज है। प्रदर्श 7, 8 जमाबंदी संवत 2021 से 2024 में अमरसिंह वल्द नंदन व काश्त सेडू व टीका की काश्त शिकमी साल 3 दर्ज का अंकन है। प्रदर्श डी 3 जमाबंदी संवत 2018 से 2021 में खसरा नंबर सेडू, रामचंद व टीका वल्द बदले कॉम गडरिया शिकमी साल 3 दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श डी 5 में खसरा नंबर 16 पर भी अमरसिंह पुत्र नंदन व सेडू व टीका शिकमी साल 3 दर्ज है। इस प्रकार उपरोक्त प्रस्तुत साबिक रिकॉर्ड से साबित होता है कि उक्त विवादित आराजीयात भूदान यज्ञ बोर्ड की आराजीयात है जिस पर अमरसिंह वल्द नंदन की खातेदारी व काश्त वादीगण के पिता टीका व सेडू की रही है। उक्त वादपत्र में अमरसिंह वल्द नंदन जो कि प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 से पक्षकार प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 बनाए गए हैं। अमरसिंह व वादीगण के पिता टीका व सेडू का मालिक व काश्त का संबंध रहा है। इस प्रकार शिकमी जोतधारक होने के कारण आरटीए की धारा 19 (1) कक संशोधित अधिनियम दिनांक 29.12.69 व संशोधित अधिनियम 1979 के प्रभाव में आने के समय वादीगण के पिता टीका व सेडू शिकमी काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड साबित है। इसलिए वादीगण के पिता टीका व सेडू को धारा 19 (1)9 के तहत आरटीए की धारा 19 (1)ए के तहत खातेदारी वादीगण के पिता सेडू व टीका के नाम दर्ज रिकॉर्ड की गई है उसके मुताबिक वादीगण के पिता सेडू व टीका शिकमी जोतधारक व लगातार काश्त होने के कारण खातेदारी वादीगण के पिता के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है। लेकिन जमाबंदी संवत 2039–42 के समय वादीगण की खातेदारी में खातेदार के आगे भूदान यज्ञ बोर्ड होल्डर के नाम इन्द्राजात दर्ज रिकॉर्ड कर दी गई। एवं इंतकाल संख्या 184 के तहत उक्त इन्द्राजात भूदान होल्डर जोडा गया। भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा जरिए रजि0 डाक दिनांक 13.11.2013 को पत्रांक 1669 के अनुसार वादीगण के [illegible] रामचंद व टीका को भूदान कानून में हुए राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:05:09 IST
Reason: SelfAttested

3/7/25

उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

2(12)राज–6/92/पार्ट दिनांक 18.11.2010 के अनुसरण में वादीगण के पिता सेडू, रामचंद व टीका के वारिसान अर्थात वादीगण को भूदान होल्डर के बजाय खातेदार दर्ज करने का निवेदन किया गया। उक्त तनकी के समर्थन में भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा परिपत्र2(12)राज–6/92/पार्ट दिनांक 18.11.2010 जबाव के साथ प्रेषित किया गया है कि जिसके बिंदु संख्या 1:– सद्भावी भूदान आवंटियों को जिनको विधिवत रूप से आवंटन किया गया है एवं जिसका अद्यतन अंकन राजस्व रिकॉर्ड में है को खातेदार दर्ज किया जावे का उल्लेख किया गया है। उक्त बिंदु के मुताबिक वादीगण को खातेदारी अधिकार दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत साबिक रिकॉर्ड पेश किए हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण के हक में खातेदारी दिए जाने का जबाव दावा में भी स्वीकृति है एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 द्वारा अपने जबाव दावा के समर्थन में उक्त दस्तावेजात भूदान यज्ञ बोर्ड के विरूद्ध पेश नहीं किया गया है एवं उक्त विवादित आराजीयात पर वादीगण का कब्जाकाश्त बयानों से भी सिद्ध होता है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विवादित आराजीयात पर कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा है। अतः उक्त तनकी वादीगण के हक में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

2. आया वादीगण संख्या 1 लगायत 7 विवादित आराजी पर 1/2 हिस्सा रिकॉर्ड काबिज घोषित करा पाने का अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साविक रिकॉर्ड एवं तनकी संख्या 1 के विवेचन के आधार पर वादीगण उक्त विवादित आराजी पर वादीगण संख्या 1 लगायत 2 को 1/2 हिस्से का तथा वादीगण संख्या 3 लगायत 7 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। अतः उक्त तनकी वादीगण के हक में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

3. आया वाद वादी मेन्टेनेबिल नहीं होने से काबिले खारिजी के है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जो कि तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन के विरूद्ध हों। अतः वाद वादी मेंटेबिल है। उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

उपरोक्त तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन के आधार पर आराजी प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 के पिता अमरसिंह की खातेदारी एवं प्रतिवादी संख्या 1 भूदान ... रिकॉर्ड रही है। उक्त आराजी पर आरटीए संशोधन अधिनियम 1960 ... 1979 के समय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:05:09 IST
Reason: SelfAttested

3/7/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज॰)

Scanned with OKEN Scanner

संवत 2018–21 व 2021–24 पर वादीगण के पिता सेजू व टीका की काश्त शिकमी जोता साल 3 दर्ज होने के कारण विधि अनुसार धारा 19 (1)9 व धारा 19(1) क क के तहत वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड की गई लेकिन संवत 2039–42 की जमाबंदी बनाते समय भूदान भूमियों का निरीक्षण करते समय मिलान कार्यवाही में वादीगण के पिता सेजू, टीका खातेदार दर्ज होने तथा सेजू व टीका की खातेदारी के आगे भूदान यज्ञ बोर्ड के इन्द्राजात दर्ज कर दिए गए। तथा भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा अपने जवाब में वादीगण के पिता सेजू व टीका की लगातार काश्त होने के कारण व खातेदारी अंकित होने के कारण राजस्थान सरकार के परिपत्र 2(12)राज–6/92/पार्ट दिनांक 18.11.2010 के अनुसार वादीगण के हक में खातेदारी दर्ज करने की अनुशंषा भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा की गई है तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 के विरोध में कोई भी मौखिक व लिखित साक्ष्य पेश नहीं किए गए अतः वादी का वादपत्र मुताबिक प्रार्थनानुसार डिक्री किया जाना उचित है।

::आदेश::

अतः आदेश है कि आराजी खसरा नंबर 28 रकबा 0.53, 29 रकबा 0.43 किता 2 रकबा 0.96 है0 एवं खसरा नंबर 31 रकबा 0.70, 32 रकबा 0.50 किता 2 रकबा 1.20 है0 वाके ग्राम गांझी तहसील नदबई स्थित है, पर वादीगण संख्या 1 व 2 को हिस्सा 1/2 वाहिस्सा बराबर का तथा वादीगण संख्या 3 के वारिसानों को हिस्सा 1/4 वाहिस्सा बराबर तथा वादीगण संख्या 3 लगायत 7 को हिस्सा 1/4 वाहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हो रहे वर्तमान इन्द्राजात कलमजन किए जाते है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.7.25 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गंगाधर मीना (R.A.S.)
न्यायालय अधिकारी, नदबई।
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:05:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner